



e-Shram

Shramev Jayate
NATIONAL DATABASE OF UNORGANISED WORKERS

1. ई-श्रम पोर्टल

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, जो कामगारों की सेवा-शर्तें और कामगारों के नियोजन को विनियमित करने वाले विभिन्न श्रम कानूनों का अधिनियमन और क्रियान्वयन करते हुए देश के संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के श्रम बल की जीवन दशा और मर्यादित जीवन के लिए कामगारों के हितों की सुरक्षा और संरक्षा, कल्याण संवर्धन तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतत कार्यशील है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in) विकसित किया है जो आधार के



साथ असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार होगा। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप, परिवार का विवरण इत्यादि होंगे ताकि कामगारों की नियोजनीयता का इष्टतम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह असंगठित कामगारों का अब तक का देश

का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।

" जिनकी मेहनत देश का आधार, सपना उनका हुआ साकार "

2. ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य



इसका उद्देश्य सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग कामगार तथा प्लेटफार्म कामगार, फेरीवालों, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए एक आधार के साथ राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। असंगठित कामगारों के निमित्त श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का भी एकीकरण करना है।

3. ई-श्रम पोर्टल पर कौन पंजीकरण करा सकता है?

कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों और जिनकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र हैं जैसे कि प्रवासी कामगार, गिग कामगार, प्लेटफार्म कामगार, कृषि कामगार, मनरेगा कामगार, मछुआरे, दूध बेचने वाले, आशा कामगार, आंगनवाड़ी कामगार, फेरीवाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों में संलग्न असंगठित कामगार।

4. असंगठित कामगार कौन हैं?

"असंगठित कामगार" से आशय ऐसे कामगार से है जो गृह आधारित, स्व-नियोजित अथवा असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कामगार के रूप में नियोजित हैं तथा इसमें वैसे संगठित क्षेत्र के कामगार भी शामिल हैं जो ईएसआईसी / ईपीएफओ / के सक्रिय सदस्य अथवा सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

5. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज अपेक्षित हैं?

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं - (I) आधार संख्या, (II) मोबाइल संख्या (आधार से जुड़ी मोबाइल संख्या को प्राथमिकता दी जाएगी) (III) बैंक खाता संख्या आईएफएससी सहित ।

नोट: यदि किसी कामगार के पास आधार से जुड़ी मोबाइल संख्या नहीं है तो वह पास के सीएससीज में जाकर अपना बायोमैट्रिक प्रमाणन के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकता / सकती है।

" बार-बार पंजीकरण से मुक्ति।"

6. ई-श्रम में पंजीकरण कैसे करें

i. ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर जाकर स्व-पंजीकरण द्वारा

या

ii. निकटतम सीएससी एवं राज्य सेवा केंद्रों पर जाकर

7. ई-श्रम पर पंजीकरण करने का शुल्क?

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है। कामगारों को किसी भी पंजीकरण इकाई को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। असंगठित कामगार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि पंजीकरण निःशुल्क है। सफल पंजीकरण पर सीएससी ई-श्रम कार्ड को प्रिंट करके कामगार को दे देंगे।

8. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लाभ ?



केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है, जो आधार से जुड़े असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस होगा। पंजीकरण के पश्चात, उसे पीएमएसबीवाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में, असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आपात स्थिति और राष्ट्रीय महामारी जैसी परिस्थितियों में, इस डेटाबेस का उपयोग सहायता के लिए किया जा सकता है।

9. ई-श्रम सहायता संपर्क विवरण

- ✓ राष्ट्रीय हेल्पडेस्क: **14434**
- ✓ हेल्पडेस्क पर भाषा सहायता -हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, कन्नड, मलयालम, मराठी, ओडिया, तेलुगु और असमिया
- ✓ सोमवार से शनिवार - सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हेल्पडेस्क उपलब्ध है
- ✓ शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल: www.gms.eshram.gov.in है



"छूटेगा नहीं कोई कामगार, योजनाएं पहुंचेंगी सबके द्वार"

10. श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार के ब्यौरे का उपयोग कैसे किया जाएगा?



यह आधार के साथ जुड़ा एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसका उपयोग केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण के लिए किया जाएगा। यह प्रवासी और निर्माण कामगारों को उनके कार्यस्थलों पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता भी सुनिश्चित करेगा। इसका उपयोग किसी भी राष्ट्रीय संकट या कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति के दौरान पात्र कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।

11. संपर्क करें:

- शिकायतों के लिए gms.eshram.gov.in पर जाएँ।
- राष्ट्रीय हेल्पडेस्क **14434** पर कॉल करें।
- किसी अन्य जानकारी के लिए eshram.pmu-mole@gov.in पर संपर्क करें।

कॉपीराइट © 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित- श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ।

" जन कल्याण योजनाओं का लाभ किसी भी राज्य में प्राप्त करें"

ई-रिक्शा चालक

